विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएं :–

सरोवर धरोहर योजना :–

शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 9.11 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 27 तालाबों का कार्य लिया जाकर रूपये 321.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 387 परियोजनाओं में रू. 5388.00 लाख व्यय कर 246 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

नगर निगम, भिलाई

ज्ञानस्थली योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 5. 25 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 9.70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2010–11 में कुल 07 कार्यो हेतु रू. 46.05 लाख स्वीकृत किए गए हैं। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 959 शाला भवनों में रू. 3313.00 लाख व्यय कर 823 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 10.25 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010–11 में अभी तक कुल 06 मैदानों के लिए राशि रूपये 139.54 लाख़ की स्वीकृति दी गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 154 परियोजनाओं में राशि रू. 1471.00 लाख व्यय कर 109 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्प वाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 16.00 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में अभी तक कुल 17 उद्यानों के विकास कार्य के लिए राशि रूपये 263.38 लाख की स्वीकृति दी गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 224 परियोजनाओं में रू. 2061.00 लाख व्यय कर 163 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

नगर निगम, कोरबा

पं. सुन्दर लाल शर्मा सफाई कामगार आवास योजना :–

राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को स्वयं के आवास उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत 50 वर्गमीटर भूखण्ड में 40 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जाता है। योजना में 10 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी एवं 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है । इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 308 आवासों में रू. 324.00 लाख व्यय कर 105 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना :–

मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना, राज्य शासन द्वारा भारतीय जीवन बीम निगम के सहयोग से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत, सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रू. 20,000/–, दुर्घटना मृत्यु होने पर रू. 50,000/–, दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रू. 50,000/–, दुर्घटना में दो हाथ–पांव, या एक आंख और एक हाथ या पांव से अक्षम होने पर रू. 50,000/– एवं दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रू. 25,000/– की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होती है। योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 80000 लक्ष्य रखा जाकर हितग्राहियों का बीमा किया जा रहा है तथा प्राप्त दावा प्रकरणों पर लाभ भी दिया जा रहा है।

बाबा गुरू घासीदास गंदी बस्ती उत्थान योजना :–

इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों झुग्गी–झोपड़ी और गंदी बस्तियों में पेयजल, नाली, सड़क, सार्वजनिक शौचालय, विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत मूलभूत सुविधा हेतु स्वीकृत 41 बस्तियों में रू.1365.41 लाख व्यय कर 40 बस्तियों के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :–

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 46,000/– की लागत से 2. 50X3 मीटर की छोटी दुकान व रू. 57000/– की लागत से 3.50X3 मीटर बड़ी दुकान एवं रू. 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि

एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 78 दुकानों हेतु 17.94 लाख स्वीकृत किया गया है। अभी तक रूपए 2738.52 लाख की लागत से 15359 दुकानों तथा 5429 चबूतरों का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 6021 दुकान व चबूतरा पूर्ण कर शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नगर निगम, दुर्ग

महिला समृद्धि बाजार योजना :–

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु रूपये 194.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 515 दुकाने पूर्ण हो चुकी है तथा 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में नगर पालिका कवर्धा की नई योजना स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध रू. 16.39 करोड़ की राशि जारी की गई है। कुल व्यय राशि रूपए 8.98 करोड़ है। 02 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है ।

गोकुल नगर योजना :–

नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 5 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

नगर निगम, रायपुर

प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना – द्वितीय चरण :–

राज्य में सड़क मार्ग ही आवागमन के मुख्य साधन होने के कारण बस स्टैण्ड निर्माण करने हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी थी। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना– द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित नगर निगमों में रू. 50.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों में रू. 17.00 लाख का परिसर निर्माण किया जाएगा। योजनांतर्गत अभी तक कुल 71 निकायों को रू. 1700.00 लाख स्वीकृत कर कुल 71 कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 36 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

नगर पालिका परिषद, बालोद

सार्वजनिक प्रसाधन योजना :–

नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में शत–प्रतिशत अनुदान देकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत् नगर निगमों में रू. 13.60 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 11.14 लाख एवं नगर पंचायतों में रू. 8.00 लाख लागत की 268 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने की योजना है। इस पर कुल व्यय रू. 2201. 60 लाख अपेक्षित है। वर्ष 2010–11 में 20 कार्य की स्वीकृति प्रदान कर रू.185.00 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 265 शौचालयों के लिए रू. 2345.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। 162 शौचालयों के निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

नगर निगम, भिलाई

मुक्तिधाम निर्माण योजना:–

शहरी क्षेत्र के सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12. 00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 9.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। यह योजना समस्त नगरीय निकायों में की गई है। वर्ष 2010–11 में 21 कार्य हेतु रू. 225.23 लाख व्यय का प्रावधान है। इस प्रकार अब तक 192 मुक्तिधाम निर्माण हेतु योजना की लागत रूपए

नगर पालिका परिषद, बैकुण्ठपुर

1740.29 लाख है एवं अभी तक 192 कार्य हेतु रू. 1663.00 लाख आबंटन किया गया है। वर्तमान में 104 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :–

शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 तक प्रति वर्ष 5000 हितग्राहियों के मान से कुल 20000 को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण में वर्ष 2007–08 में 5000 हितग्राहियों के विरूद्ध 4758 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है । 2008–09 में द्वितीय चरण में 5200 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2009–10 में 4800 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2010–11 में 5000 हितग्राहियों को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में 10000 हितग्राहियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें SDI Scheme अंतर्गत विभिन्न कोर्सो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आई.टी.आई. से प्रशिक्षित हितग्राहियों को NCVT एवं छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट मिशन अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रशिक्षणार्थियों की मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–

वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2010–11 में 26 कार्य हेतु 1038. 17 लाख स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत अब तक 74 हाट बाजार के लिए रू. 2907.00

लाख स्वीकृति उपरांत रू. 2100.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 03 परियोजना पूर्ण किया जाकर 71 हाट बाजार निर्माणाधीन है ।

नगर पंचायत, धमधा

सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :–

वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हैं। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में रू. 25.00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष 2010–11 में 28 कार्य हेतु रू. 650.39 लाख स्वीकृत किए गये है। इस प्रकार योजनांतर्गत अब तक 73 सांस्कृतिक भवन के लिए रू. 2095.00 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 1387.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 06 परियोजना पूर्ण किया जाकर 67 सांस्कृतिक भवन का कार्य निर्माणाधीन है ।

भागीरथी नल–जल योजना –

राज्य के लगभग 2.5 लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इस व्यवस्था से निजात पाने, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित तंग बस्ती क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु **भागीरथी नल–जल योजना** लागू की गई है।

नगर निगम, रायपुर

यह योजना प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू होगी। नगरीय निकाय, एमआईसी/पीआईसी में बस्ती का चयन कर संबंधित तंग बस्ती में कैंप लगाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगी। इस हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें संबंधित वार्ड पार्षद तथा जल कार्य से संबंधित उप अभियंता सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य एमआईसी/पीआईसी द्वारा नामित किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र स्थल पर ही स्वीकृत किया जाकर यथाशीध्र नल संयोजन किया जावेगा। नल संयोजन के उपरांत निकाय, व्यय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को प्रकरण भेजेंगे। सूडा में परीक्षण उपरांत स्वीकृत व्यय की प्रतिपूर्ति निकायों को की जावेगी। योजनांतर्गत बी क्लास जी.आई. वितरण पाईप लाईन, खुदाई कार्य, फेरूल, नल आदि आवश्यक फिटिंग सहित निकाय में लागू नल संयोजन शुल्क, आदि का समावेश योजना के तहत किया जा सकेगा। हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्तमान में 27 नगरीय निकायों को 71615 निःशुल्क जल संयोजन हेतु रू. 4.30 करोड़ किए गये है ।

अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना –

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वर्षो से संचालित है। योजना के अंतर्गत महिलाओं की सामुदायिक विकास समिति (सीडीएस) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में सीधे सहभागिता दी जा रही है। राज्य शासन की अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र की पहल से जहॉ समिति व सी.डी.एस. की महिलाएं विभिन्न उद्यम स्थापित करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी, वहीं सेवा केन्द्रों में उनकी बैठकों के लिए एक स्थान भी निर्धारित रहेगा। इससे गरीब महिलाओं को लाभांवित करने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। योजनांतर्गत सूडा द्वारा समस्त नगरीय निकायों को अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जावेगा।

मॉडल, अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र

निकाय अपने क्षेत्र में पंजीकृत सामुदायिक विकास समिति को स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार सेवा केन्द्र निर्मित कर सौपेंगे। स्वावलंबी, उद्यमिता एवं आर्थिक रूप से सुढ़ृढ़ बनाने स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट (60 X 50 फुट) भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है । वर्तमान में 05 निकायो में 23 केन्द्र स्वीकृत कर रू. 3.45 करोड़ राशि प्रदाय की गई है ।

शहरी गरीबों की पहचान एवं गणना :–

शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण राज्य गठन के पूर्व वर्ष 1997–98 में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के समय कराया गया था।

राज्य गठन पश्चात् नगरी क्षेत्रों के सीमाओं में वृद्धि एवं नगरीय निकायों की गठन के फलस्वरूप नवीन सर्वेक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पूरे प्रदेश में नये सिरे से बी.पी.एल. सर्वे की आवश्यकता का निर्णय लिया गया। इसके लिए समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर वर्ष 2007–08 में सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है। जिसके अनुसार प्रदेष के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवारों की संख्या 5,45,814 है।